न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 05 / 2016 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. कमलेश पुत्र हीरया जाति कीर निवासी डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. जमनालाल (फौत)
   1/1 रेवडी पत्नि जमनालाल
   1/2 मुकेश पुत्र जमनालाल
   1/3 सुल्तान पुत्र जमनालाल
2. राधाकिशन
3. धन्नी बेवा भूरया

समस्त जाति कीर निवासी डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा

4. स्टे.ज.सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध अलाटमेन्ट आदेश दिनांक 14.06.1967
बहक भूरया पुत्र चून्या जाति कीर निवासी डिगो तहसील लालसोट

उपस्थिति : अपीलांट्स शम्भुदयाल राणा उप0।
: श्री वैभवराज गुरावा अधिवक्ता 01 लगा 03 उप0।

—:निर्णय:— दिनांकः 07.01.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम डिगो तहसील लालसोट में स्थित आराजी खसरा नं. 29, 32 एवं 49 में अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 02 के पिता एवं अप्रार्थी सं. 03 के पति भूरया पुत्र चून्या जाति कीर निवासी डिगो को भूमि आवंटन आदेश दिनांक 14.06.1967 को निरस्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि आवंटन आदेश दिनांक 14.06.1967 की पालना अप्रार्थीगण व उनके पिता ने आज तक नही कि है। आराजी खसरा नं. 29 एवं 32 पर आज भी प्रार्थी एवं उससे पूर्व इसके पिता का ही कब्जा काश्त है। प्रार्थी के स्वामित्व में चली आ रही है तथा खसरा नं. 49 पर भी अप्रार्थीगण का कोई कब्जा नही है। अलाटमेन्ट के पूर्व किसी कमेटी का गठन नही किया गया न ही कोरम पूरा था, बाद में

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

गुपचुप में कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। अलाटी द्वारा खसरा नं. 29 में से 04 बीघा भूमि हेतु आवंटन का आवेदन किया गया था। जबकी 05 बीघा भूमि आवंटन कर दिया गया। खसरा नं. 29 का रकबा भी 05 बीघा का रकबा ही नही है। इस प्रकार आवंटन आदेश फर्जी है। आवंटन मौके पर नही किया गया है। आवंटन के लिए किसी प्रकार की उद्घोषणा जारी नही की गई। वरवक्त आवंटन भूमि प्रार्थी के पिता का कब्जा था और भूमि को वेकेट घोषित नही की गई थी। आवंटन समिति द्वारा आवंटन उपलब्ध सिवायचक भूमि में से ही किया जाता है। जिस व्यक्ति का कब्जा काश्त हो उसे नोटिस दिया जाता है। संवत 2020–22 की गिरदावरी के अनुसार प्रार्थी बदस्तुर काबिज काश्त है और आज भी काबिज है। आवंटन के पश्चात दिनांक 20.06.2006 को नामान्तरकरण खारिज किया गया है। आवंटन समिति द्वारा भी हमारा कब्जा माना गया है। आवंटन से पूर्व प्रार्थी को नही सुना गया। विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन है। अतः उक्त आवंटन आदेश दिनांक 14.06.1967 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 01 लगायत 03 द्वारा निवेदन किया गया कि 1967 के आवटंन के विरूद्ध अपील **Maintainable** (संधार्य) नही है। आवंटन नियम 1957 के तहत किया गया है। 1970 के आवंटन नियम इस पर प्रभावी नही होते है। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर मे निर्णित अपील सं. 38/2006 जमनालाल बनाम कमलेश में पारित निर्णय दिनाक 10.04.2007 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 20.06.2006 को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 145 दिनांक 12.06.1970 बहाल रखा गया है एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी उक्त निर्णय दिनांक 10.04.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी को दिनांक 24.03.2017 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतिक्रमी का कब्जा कोई वैधानिक आधार नही है। यदि अपीलान्ट का कब्जा भी है तो नियमन अथवा आवंटन हेतु दरख्वास्त नही दी गई। अतः प्रार्थी को अलाटमेन्ट को चैलेंज करने का अधिकार नही है। खातेदारी प्राप्त होने के बाद आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि आवंटी भूरया पुत्र चून्या जाति कीर निवासी डिगो को ग्राम डिगो तहसील लालसोट स्थित खसरा नं. 32 में से रकबा 5 बीघा, खसरा नं. 29 में से रकबा 4 बीघा एवं खसरा नं. 49 में से 1 बीघा 5 बिस्वा कुल 10 बीघा 5 बिस्वा भूमि दिनांक 14.06.1967 को किया गया है। भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र में खसरा नं. 29 में से 4 बीघा भूमि का आवंटन चाहा गया है किन्तु तहसीलदार द्वारा आवंटन में खसरा नं. 29 में से 5 बीघा का अंकन कर दिया गया हैं किन्तु आवंटित भूमि के योग में खसरा नं. 29 मे से 4 बीघा भूमि आवंटन मानते हुए योग 10 बीघा 5 बिस्वा अंकित किया गया है। अतः 05 बीघा का अंकन लिपिकीय भूलवश हुआ है। भूमि आवंटन नियम 1957 के अनुसार उक्त भूमि का

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

आवंटन किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन दिनांक 14.06.1967 के विरूद्ध अपील/प्रार्थना पत्र किन नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, स्पष्ट नही है। प्रश्नगत आवंटन के विरूद्ध लगभग 39 वर्ष पश्चात अपील/प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 14.06.1967 ग्राम डिगो तहसील लालसोट के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 09.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा